दिनांक: 14 जुलाई, 2017

प्रिय महोदय,

GST प्रणाली लागू होने के उपरान्त उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु *श्री चंचल कुमार तिवारी, (आई.ए.एस.) अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज उ.प्र., जिनको कि सरकार द्वारा* ***जी.एस.टी. लागू होने के उपरान्त व्यापारियों, उद्यमियों एवं सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं के समक्ष आयीं समस्याओं के अनुश्रवण करने तथा उत्तर प्रदेश शासन को सूचित करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है,*** *एवं श्री सुरेन्द्र सिंह, (आई.ए.एस.) जिलाधिकारी, कानपुर नगर दिन शनिवार* ***दिनांक 15 जुलाई, 2017 को प्रातः 11:00 बजे*** *मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश में आ रहे है।*

अतः आपसे अनुरोध है कि सत्र में उपस्थित होकर जी.एस.टी. कर प्रणाली लागू होने के उपरान्त आने वाली समस्याओं को प्रस्तुत करें। आप अपनी समस्याओं को लिखित रूप से भी अपर मुख्य सचिव महोदय को प्रस्तुत कर सकते है जिससे *अपर मुख्य सचिव महोदय शासन स्तर* पर समस्याओं को प्रस्तुत कर सकें।

कृपया असुविधा से बचने के लिए सत्र में पूर्वकथित समय पर उपस्थित होकर अपने बठने का स्थान सुनिश्चित करें।

सधन्यवाद

द्वारा
मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश

(ए.के. सिन्हा)
सचिव